



350692 - कुछ न करने की कसम खाने तथा अपनी कसम न तोड़ने या उसका प्रायश्चित न करने की कसम खाने का क्या हुक्म है?

प्रश्न

एक बहन ने मुझसे एक प्रश्न पूछा। उसने कहा : मैंने कसम खाई थी कि मैं कोई अनुमेय चीज़ नहीं करूँगी। साथ ही मैंने यह कसम खाई थी कि अगर मैंने कसम तोड़ दी, तो मैं उसका प्रायश्चित नहीं करूँगी। दूसरे शब्दों में, उसने यह कहा : “अल्लाह की कसम ! मैं ऐसा और ऐसा नहीं करूँगी, और अल्लाह की कसम ! मैं प्रायश्चित नहीं करूँगी ताकि मैं उसे कर सकूँ।” फिर उसने वह काम कर लिया। तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे दो कफ़ारा (प्रायश्चित) भुगतान करना पड़ेगा?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

जिस व्यक्ति ने कोई चीज़ न करने की कसम खाई, फिर उसे कर लिया, तो उसपर कसम का कफ़ारा है। और यह वाजिब है।

यदि उसने यह कसम खाई है कि वह कसम नहीं तोड़ेगा, या उसने यह कसम खाई है कि उसे करने के लिए वह प्रायश्चित नहीं करेगा, तो उसपर एक और कफ़ारा (प्रायश्चित) अनिवार्य है। इस प्रकार उसे दो कफ़ारा देना (प्रायश्चित करना) पड़ेगा।

अद-दरदीर ने "अश-शरहुस-सगीर" (2/217) में कहा : "(या) उसने कसम खाई कि वह ऐसा और ऐसा नहीं करेगा, तथा (उसने कसम खाई कि वह कसम नहीं तोड़ेगा), फिर उसने अपनी कसम तोड़ दी, जैसे कि उसने कहा : अल्लाह की कसम ! मैं ज़ैद से बात नहीं करूँगा। अल्लाह की कसम ! मैं कसम नहीं तोड़ूँगा। फिर उसने उससे बात कर ली ; तो उसपर दो कफ़ारा अनिवार्य है : एक कफ़ारा अपनी मूल कसम को तोड़ने के लिए, तथा दूसरा कफ़ारा उस कसम को तोड़ने के लिए।" उद्धरण समाप्त हुआ।

कफ़ारा (प्रायश्चित) दस ग़रीबों को खाना खिलाना या उन्हें कपड़े पहनाना है। जो कोई ऐसा करने में सक्षम नहीं है, उसे तीन दिन रोज़ा रखना चाहिए।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।